न्यायालयः अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी - सोनल मिश्रा, आर.जे.एस.
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या - 12580/2022
सी.आई.एस.नंबर -12580/2022

राजस्थान राज्य

.....अभियोगी

बनाम

1- सुशील उर्फ शारूख पुत्र श्री कन्हैयालाल उम्र 25 साल निवासी झलकारी नगर पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर।
2- जीतु पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 44 साल निवासी झलकारी नगर अलवरगेट, अजमेर।

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 354,354 क भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः- बहस के समय
1- सहायक अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2- श्री अशोक मेहरा, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

-: निर्णय :- दिनांक 04-03-2024

1- प्रकरण का उद्भभव थानाधिकारी पुलिस थाना अलवर गेट द्वारा यह आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 451,323,341,354,354क, 509/34 के तहत दिनांक 22-09-2022 को पेश किये जाने से हुआ।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादीया श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री जगर सिंह उम्र 53 साल निवासी 105/34 झलकारी नगर अलवरगेट अजमेर ने अभियुक्तगण के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 354,323,452,147,427, 509 व 34 भारतीय दण्ड संहिता माननीय न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि परिवादीया अपने परिवार के साथ उपरोक्त पते पर निवास करती है तथा आरोपी संख्या 1 सुशिल उर्फ शारूख परिवादीया का पडौसी है तथा आदतन शराबी व नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति है। परिवादीया व उसकी पुत्री सोनल जब भी कोई कार्य से

अपने घर की छत पर जाती है या कपडे सुखाने या किसी अन्य कार्य से जाते है तो उक्त आरोपी संख्या 1 सुशिल उर्फ शारूख परिवादीया व उसकी पुत्री को देखकर नंगा होकर खुले में स्थान करने लग जाता है और परिवादीया व उसकी पुत्री को देख कर गंदे गंदे अश्लील इशारे करता है व अश्लील शब्दो का प्रयोग करता है। सुशिल को कई बार समझाया जिस पर आरोपी सुशील परिवादीया के साथ गाली गलौच व लडाई झगडा करने लग गया। दिनांक 13-07-2021 को जब आरोपी सुशील उर्फ शारूख को परिवादीया के पति जगर व पुत्र मनीष ने समझाने का प्रयास किया तो उल्टा अभियुक्त ने परिवादीया व उसके परिवारजन को गंदी गंदी गालियां देने लगा और पडौसीयों के समझाने पर परिवादीया अपने पुत्र को समझाबुझाकर अपने घर पर ले गयी। दिनांक 14-07-2021 को सुशील उर्फ शारूख अपने साथी आरोपी संख्या 2 जीतू नामालूम निवासी झलकारी नगर अलवरगेट अजमेर व अन्य आरोपी संख्या 3 तीन चार लोगो को अपने साथ लेकर शराब के नशे में डण्डे सरिया के साथ परिवादिया के घर मे हमला करने की नियत से घुस और घर में रखे सामान को तोडफोड कर दिया। परिवादीया की पुत्री सोनल को आरोपी संख्या 1 सुशील उर्फ शारूख ने हाथ पकड कर खींचा जिस पर परिवादीया ने अपनी पुत्री सोनल को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी संख्या 1 व 2 सुशील उर्फ शारूख व जीतू ने परिवादीया की पुत्री के कपडे पकड कर खींचे और उसके साथ अश्लील हरकते करने लग गए। परिवादीया के साथ भी मारपीट की। इस्तगासे को न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संबन्धित थाने को प्रेषित किया गया , जिसपर प्रकरण संख्या 324/2021 धारा 354,323,452,147,427,509,34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान परिवादीया के धारा 164 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध किए गए। महत्वपूर्ण गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए। तत्पश्चात सामान्य व औपचारिक अनुसंधान पूर्ण कर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 451,323,341,354,354क, 509,34 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

3- अभियुक्तगण के दिनांक 22-09-2022 को न्यायालय में उपस्थित होने पर उसके विरुद्ध धारा 451,323,341,354,354क, 509,34 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया व उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत आरोप पत्र इत्यादि की नकले दिलाई गई। अभियुक्तगण को दिनांक 10-11-2022 को धारा 451,323,341,354,354क,509/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया-समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन-समझकर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। इसी स्तर पर उभय पक्ष द्वारा धारा 451,323,341,509/34 भा.दं.सं. में राजीनामा पेश किया गया। धारा 354, 354क/34 भा.दं.सं. क्षमनीय नहीं होने से

केवल धारा 451,323,341,509/34 भा.दं.सं. की हद तक राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को आरोप धारा 451,323,341,509/34 भा.दं.सं. में जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 354, 354 क/34 भा.दं.सं. का अपराध शेष है जिसके सम्बन्ध में विचार किया जाना है।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान पीडबल्यू-1 मीना देवी, पीडबल्यू-2 सोनल, पीडबल्यू-3 जगन सिंह, पीडब्लयू-4 नारायण, पीडब्लयू-5 दिनेश, पीडब्लयू-6 जयलाल, पीडबलयू-7 किशोर सिंह को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रद्रर्श पी-1 लगायत 13 को प्रदर्शित करवाया गया।

5- अभियुक्तगण के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान लिये गये, अभियुक्तगण ने गवाहान के बयानों को गलत होना बताया तथा कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

6- उभय पक्षकारान् की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया है कि पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है, लिहाज़ा उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिए है कि पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। गवाहों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। पीडबलयू-1, 2 व 3 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8- न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है -

(1) क्या अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर दिनांक 14-07-2021 को सुबह किसी समय पर 105/34 झलकारी नगर अलवरगेट अजमेर पर स्थित परिवादीया के मकान में शराब के नशे में घुसकर परिवादीया की पुत्री का हाथ पकड कर खींचकर स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

(2) क्या अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आकर परिवादीया के मकान में घुसकर परिवादीया की पुत्री का हाथ पकड कर उसके साथ अश्लील हरकते करने का प्रयास कर लैंगिक उत्पीडन का अपराध कारित किया?

(3) यदि हाँ, तो अभियुक्तगण किस दंड का पात्र होंगे?

9- उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह परीक्षित कराये। पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य सामग्री का विवेचन विश्लेषण कर प्रकरण की स्थिति को देखे तो प्रकट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323,341,451,509,354 व 354क/34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप हाओं। राजीनामा होने से अभियुक्तगण को दिनांक 11-12-2023 को धारा 323,341,509, 451/34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में अभियुक्तगण के विरूद्ध केवल धारा 354 व 354क भा.दं.सं. के अपराध का आरोप शेष है। हस्तगत प्रकरण परिवादीया मीना देवी पीडब्लयू-1 द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी-1 पर संस्थित हुआ। प्रदर्श पी-1 के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादीया मीना देवी व उसकी पुत्री सोनल के साथ गाली-गलौच, मारपीट व अश्लील हरकतें करने का आरोप है। पीडब्लयू-1 मीना देवी जो कि स्वयं परिवादीया व पीडिता है एवं पीडबलयू-2 सोनल जो कि परिवादीया की पुत्री एवं पीडिता है, ने अपने सशपथ बयानों में घटना की दिनांक 13-07-2021 को अभियुक्तगण के साथ केवल कहासुनी होने का कथन किया। उक्त दोनों गवाहान ने अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर किया कि उनके साथ सुशील, जीतू व उनके साथियों ने कोई अश्लील हरकते नहीं की थी न ही उनके कपडे खींचे थे, न ही उनके साथ मारपीट की थी, न ही छेडकानी की थी। उनके बीच केवल कहासुनी हुयी थी। हस्तगत प्रकरण के दोनों गवाहान पीडब्लयू-1 व 2 सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कथानक के संदर्भ में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और उन्होंने अपनी जिरह में इस सुझाव को गलत बताया कि सुशील व शाहरूख ने परिवादीया व उसकी पुत्री के छत पर जाने पर उनके सामने गंदे-गंदे इशारे एवं हरकते की। उक्त गवाहान ने इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 14-07-2021 को सुशील व उसके साथियों ने परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की हो और पीडब्लयू-2 का हाथ पकडकर खींचा हो तथा पीडबलयू-1 के कपडे खींचे हो एवं उसका पल्लू पकडकर खींचा हो। पीडबलयू-1 व 2 ने अपने धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान क्रमशः प्रदर्श पी-5 व प्रदर्श पी-10 अभियुक्त सुशील से कहा सुनी होने से परेशान होने के कारण लिखवाया था। उक्त गवाहान ने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी-8 व पी-10 का अभियोगात्मक भाग पुलिस को देने से इंकार किया।

उक्त दोनों ही गवाहान ने अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दोषारोपक एवं अभियोगात्मक साक्ष्य नहीं दी है।

10- साथ ही पीडब्लयू-3 जगन सिंह जो कि मौके का गवाह है, उसने भी अपनी साक्ष्य में पीडबलयू-1 व 2 द्वारा दिए गए बयानों की पूर्ण रूप से ताइद कर अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित करने के तथ्य से इंकार किया है। उक्त गवाह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसकी पत्नी व पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने से इंकार किया है। उक्त गवाह भी सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुआ और उसने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया कि सुशील उर्फ शाहरूख उसकी पत्नी व उसकी पुत्री छत पर जाते हो तब उनके सामने गंदे इशारे व हरकते करता हो। उक्त गवाह ने इस सुझाव को भी गलत बताया कि दिनांक 14-07-2021 को सुशील व उसके साथियों ने उसके साथ एवं उसकी पत्नी व पुत्री के साथ मारपीट की हो और उनका हाथ पकडकर खींचा हो और उनके कपडे फाडे हो एवं उसकी पत्नी का पल्लू पकडकर खींचा हो। उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी-11 का वह भाग जिसमें अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से जोडा गया है पुलिस को देने से इंकार किया है।

11- हस्तगत प्रकरण में जहां स्वयं पीडिता पीडब्लयू-1 व 2 अभियोजन कथानक के संदर्भ में पक्षद्रोही हुए हैं और उन्होंने अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दोषारोपक साक्ष्य नहीं दी है, वहां यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण ने परिवादीया पीडब्लयू-1 व उसकी पुत्री पीडबलयू-2 के साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया हो एवं लैंगिक उत्पीडन कारित किया हो। जहां पीडित पक्ष पीडबलयू-1 व 2 एवं मौके के गवाह पीडब्लयू-3 ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अभियोगात्मक साक्ष्य नहीं दी है और अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध कारित करने बाबत कोई कथन नहीं किया है, वहां फर्द गिरफतारी, चाक एफ आइ आर के औपचारिक गवाहान पीडब्लयू-4 नारायण, पीडब्लयू-5 दिनेश व पीडब्लयू-6 जयलाल एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडबलयू-7 किशोर की औपचारिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। साथ ही पक्षकारान ने आपस में राजीनामा होना जाहिर किया। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर कोई ऐसी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण की दोषसिद्धी की राह प्रशस्त होती हो।

12- इस प्रकार पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य सामग्री से यह स्पष्ट है कि

अभियोजन पक्ष यह पूर्णतः प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने एकसाथ मिलकर दिनांक 14-07-2021 को सुबह किसी समय पर 105/34 झलकारी नगर अलवरगेट अजमेर पर स्थित परिवादीया के मकान में शराब के नशे में घुसकर परिवादीया की पुत्री का हाथ पकड कर खींचकर स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया व परिवादीया की पुत्री का हाथ पकड कर उसके साथ अश्लील हरकते करने का प्रयास कर लैंगिक उत्पीडन का अपराध कारित किया। लिहाजा अभियुक्तगण को धारा 354 व 354क/34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

12- अतः अभियुक्तगण सुशील उर्फ शारूख पुत्र श्री कन्हैयालाल उम्र 25 साल निवासी झलकारी नगर पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर व जीतु पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 44 साल निवासी झलकारी नगर अलवरगेट, अजमेर को अरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354क/34 भारतीय दंण्ड संहिता से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। राजीनामा होने से अभियुक्तगण को दिनांक 11-12-2023 को धारा 323,341,509,451/34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में मजरूब को इस प्रकार की कोई क्षति कारित होना प्रकट नहीं होती है जिसके सम्बन्ध में उसे क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना न्यायोचित हो। बचाव द्वारा पूर्व में ही अभियु क्तगण के प्रसंगवश धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तत्सम्मत, कालावधि 6 माह के लिये प्रवृत्त, रूपये 10,000/- की राशि का बन्ध पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभू बंधपत्र पेश कर नियमानुसार तस्दीक कराए जा चुके है।

(सोनल मिश्रा)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06,
अजमेर (राज.)

13- यह निर्णय आज दिनांक 04-03-2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनल मिश्रा)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06,
अजमेर (राज.)